कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

––::आदेश::––

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत)

क्रमांक / 1583 / एस.डब्ल्यू. / कानुन व्यवस्था / 2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/03/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1543 / एस.डब्ल्यू. / कानुन व्यवस्था /2020 दिनांक 19.03.2020 को संशोधित करते हुये निम्नानुसार विस्तृत आदेश जारी किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया के पत्र क्रं. / पुअ / कोरिया / स्टेनो / एम / 102 / 2020 दिनांक 22.03.2020 द्वारा लेख किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार नोवल कोरोना वायरस (COVID–19) एक संक्रमक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्ते में महामारी का रूप ले रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID–19) के सर्म्पक से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस (COVID–19) रेग्यूलेशन के अन्तर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिये संक्रमित व्यक्ति को घर / संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जावे। छ.ग. शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरिया के राजस्व सीमा क्षेत्र में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलुस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन, व्यावसायिक संस्थानों (आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थाओं को छोड़कर) आदि को कोरिया जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अन्तर्गत प्रतिबंधित करने हेतु अनुशंसा की गई है।

ऐसी आपात स्थिति में यह संभव नही है कि कोरिया जिले में निवासरत सभी नागरिकों को यह नोटिस तामिल करवाया जा सके। अतः एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत धारा 144 को लागू करना उचित है।

अतः मैं, **डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरिया** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूं :–

1. जिला कोरिया के राजस्व सीमा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, राजनीतिक रैली, जुलुस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस में कार्यक्रम, एसोसिएशन बिल्डिंग में कार्यक्रम आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।

22/3/2020

Scanned by CamScanner

2. सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज) मेडिकल स्थापनाऐं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे) एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाऐं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संन्दर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों, मनरेगा से संबंधित कार्यो को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।

3. यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण/जानकारी या यह मानने के लिये कि वह कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

4. निगरानी जॉच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित है ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हुये अन्य व्यक्ति पर लागू हो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज मे सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड के लिए भागी होगा।

5. शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रांतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

यह आदेश कोरिया जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र के लिये दिनांक 22.03.2020 रात्रि 9:00 बजे से तत्काल प्रभावशील होगा जो दिनांक 31.03.2020 या आगामी आदेश जो पहले आये तक प्रभावशील होगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मेरे न्यायालय की मुहर सहित आज दिनांक 22.03.2020 को जारी किया गया।

22/3/2020

(डोमन सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–कोरिया (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
कोरिया
22/3

जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक/1584/एस.डब्ल्यू./कानुन व्यवस्था /2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22/03/2020

प्रतिलिपि :–

01– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

04– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

05– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

06– आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

07– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

08– आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

09– पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

11– अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

13– सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

15– अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17– समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

18– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

19– आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

20– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

21– जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

22– सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

22/3/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)
22/3/20

Scanned by CamScanner